



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Kadar Nawaz Khan
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

क्रमांक : 003/2019./स.नि.अनु./324/2025/ **248**
दिनांक : 09.09.2025

अधिसूचना

विद्या-परिषद् की दिनांक 30 जुलाई 2025 (विस्तारित बैठक दिनांक 11 एवं 12 अगस्त 2025) को सम्पन्न 45वीं बैठक की मद संख्या-38 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत बहुस्तरीय प्रवेश एवं निर्गमन प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन, आवश्यक नियम, प्रक्रियाएँ एवम् अकादमिक प्रावधान तैयार करने लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :

- | | |
|--|--------------|
| 1. प्रो. अवधेश कुमार, अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ | — अध्यक्ष |
| 2. समस्त अधिष्ठाता | — सदस्य |
| 3. परीक्षा नियंत्रक | — सदस्य |
| 4. सहायक कुलसचिव (अकादमिक) | — सदस्य सचिव |

समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को प्रकाशित अधिसूचना “Undergraduate and Postgraduate Degree-Awarding Minimum Standards of Instruction and Certification Regulations” के विनियम 11.0 के अनुरूप, बहुस्तरीय प्रवेश एवं निर्गमन (Multiple Entry and Exit) प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक नियम, प्रक्रियाएँ एवं अकादमिक प्रावधान के सम्बन्ध में दिनांक 08.10.2025 (बुधवार) तक अपनी अनुशंसाएँ सौपेगी।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जाती है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)
09/09/25

प्रति (ई-मेल द्वारा) : उपर्युक्त समस्त सम्बन्धिता

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति सचिवालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केन्द्र निदेशक एवम् क्षेत्रीय केन्द्रों के अकादमिक निदेशक और प्रभारी
3. परीक्षा नियंत्रक
4. प्रवेश प्रकोष्ठ
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. संबंधित पत्रावली